रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102022-239945
CG-DL-E-29102022-239945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4853] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 2022/कार्तिक 06, 1944
No. 4853] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 06, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2022

सं. 40/2015–2020

विषयः दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 के बाद चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हेतु तिथि को बढाने के संबंध में।

का.आ. 5071(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिनांक 24 मई, 20222 की अधिसूचना सं. 10/2015–20 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा एचएस कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी (खांड, रिफाइंड चीनी, सफेद चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध की तिथि को 31 अक्तूबर, 2022 से आगे 31 अक्तूबर, 2023 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाती है।

2. संबंधित सार्वजनिक सूचना में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत ईयू और यूएसए को निर्यात किए जा रहे चीनी के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव।

चीनी (खांड, रिफाइंड और सफेद चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध दिनांक 31.10.2022 से आगे 31.10.2023 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाया जाता है। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/वॉल्यूम.8/ई–20749 से जारी]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2022

No. 40/2015-2020

Subject: Extension of date for restriction on export of sugar beyond 31st October, 2022.

S.O. 5071(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, in partial modification of Notification No.10/2015-2020 dated 24th May, 2022, the Central Government hereby extends the date of 'Restriction' on export of Sugar (Raw Sugar, Refined Sugar and White Sugar) under HS Codes 1701 14 90 and 1701 99 90 beyond 31st October, 2022 till 31st October, 2023, or until further orders, whichever is earlier.

2. This restriction is not applicable to Sugar being exported to EU and USA under CXL and TRQ quota as per prescribed procedure in the respective Public Notices.

3. Effect of this Notification:

Restriction on export of Sugar (Raw, Refined and White sugar) is extended beyond 31.10.2022 till 31.10.2023, or until further orders, whichever is earlier. Other conditions will remain unchanged.

[F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol.8/E-20749]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.29 14:43:40 +05'30'